राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4( )परावि/आप्र./PEAIS/2014–15/ 990 जयपुर, दिनांकः 11.9.2014

दिशा निर्देश

संविधान के अनुच्छेद 243जी में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गयी गतिविधि, कोष एवं कार्मिकों की स्थिति तथा बेहतर कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। योजना की क्रियान्विति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार द्वारा राज्य की उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों एवं पांच ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा।
2. जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रश्नावली की सूचना ऑनलाईन भरी जानी है तथा संबंधित साक्ष्य एवं दस्तावेज अपलोड किये जायेगें।
3. जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों हेतु अलग–अलग प्रश्नावलियां निर्धारित की गई हैं।
4. **पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2013–14 में निष्पादित किये गये कार्यों/गतिविधियों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जायेगा।**
5. ग्राम पंचायतों द्वारा प्रश्नावली की सूचना ऑनलाईन पंचायत समिति स्तरीय मूल्यांकन समिति को अग्रेषित की जायेगी। पंचायत समिति स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित अंकन योजना (Marking Scheme) के अनुसार ग्राम पंचायतों को अंक प्रदान किये जायेगें तथा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 2 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव ऑनलाईन जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति को अग्रेषित किये जायेगें।
6. पंचायत समिति द्वारा उनसे संबंधित प्रश्नावली की सूचना ऑनलाईन जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति को अग्रेषित की जायेगी।
7. जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मार्किंग योजनानुसार पंचायत समितियों को अंक प्रदान किये जायेगें तथा जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली दो ग्राम पंचायतों, एक पंचायत समिति तथा जिला परिषद द्वारा उनसे संबंधित प्रश्नावली की सूचना ऑनलाईन राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को अग्रेषित की जायेगी।
8. राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा जिला परिषदों को अंक प्रदान किये जायेगें।
9. राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय समितियां निम्नानुसार हैः–

राज्य स्तरीय पंचायत मूल्याकंन समिति

1.	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन, पंचायती राज	सदस्य
3.	परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एम.एण्ड ई.)	सदस्य
4.	श्रीमती रमणिका कौर, सहायक निदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान	सदस्य
5.	शासन संयुक्त सचिव, जिला आयोजना	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय पंचायत मूल्याकंन समिति

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य

3.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
5.	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7.	जिला परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8.	मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव

ब्लाक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति

1.	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता, नरेगा	सदस्य
3.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
4.	ब्लॉक सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग	सदस्य
5.	ब्लॉक उपचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
7.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य सचिव

10. राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 15 ग्राम पंचायतों, 6 पंचायत समितियों एवं 3 जिला परिषदों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का निष्पक्ष निरीक्षण दलों के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।
11. राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात् सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली तीन जिला परिषदों, छः पंचायत समितियों एवं पन्द्रह ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव मय अनुशंसा भारत सरकार को अग्रेषित किये जायेगे। भारत सरकार द्वारा एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों एवं पांच ग्राम पंचायतों का पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।
12. किन्ही दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में राज्य/जिला/ब्लाक स्तरीय मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। विशेष परिस्थितियों में उक्त समितियों द्वारा निर्देशित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तावों से संबंधित सूचनाओं/तथ्यों की पुष्टि करायी जा सकेगी।
13. योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित संख्या में चयन कर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु कार्य योजना निम्नानुसार हैः-

क्र.सं	गतिविधि	अवधि	क्रियान्विति
1.	योजना के दिशा-निर्देश एवं प्रश्नावली ऑनलाईन करना।	15.09.2014	राज्य सरकार
2.	जिला स्तर पर जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति के शेष सदस्यों एवं विकास अधिकारी (मास्टर ट्रेनर) को जिला स्तरीय प्रशिक्षण। (सीपीओ एवं डीपीएम द्वारा)	23.09.2014	जिला परिषद
3.	पंचायत समिति स्तर पर ब्लाक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति के शेष सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सरपंचों/ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण।(मास्टर ट्रेनर द्वारा)	30.09.2014	पंचायत समिति
4.	निरीक्षण दलों का गठन एवं प्रशिक्षण	10.10.2014	राज्य सरकार
5.	ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा उनसे संबंधित प्रश्नावली की सूचना उच्च पंचायती राज संस्था को ऑनलाईन अग्रेषित करना।	13.10.2014	जि.प./ पं.स./ग्रा.पं.
6.	पंचायत समिति स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति द्वारा उनके क्षेत्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली दो ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को अग्रेसित करना।	13.10.2014	ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन समिति

7.	जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति द्वारा जिले की सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 1 पंचायत समिति तथा 2 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को अग्रेसित करना।	15.10.2014	जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति
8.	जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित संख्या में पंचायती राज संस्थाओं का चयन करना।	16–17.10.2014	राज्य सरकार
9.	निरीक्षण दलों द्वारा भ्रमण कर सूचनाओं का सत्यापन करना एवं रिपोर्ट ऑन–लाईन करना।	18–29.10.2014	राज्य सरकार
10.	निरीक्षण दलों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का राज्य स्तर पर अंतिम रूप से चयन करना।	30.10.2014 तक	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति
11.	राज्य स्तर से निर्धारित संख्या में पंचायती राज संस्थाओं का चयन कर भारत सरकार को अनुमोदित सूची प्रस्तुत करना।	31.10.2014 तक	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति

14. प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं तीनों मूल्यांकन समितियों तथा निरीक्षण दलों के लिये पृथक–पृथक यूजर आईडी एवं पासवर्ड राज्य स्तर से उपलब्ध कराये जावेगें।
15. यूजर आईडी एवं पासवर्ड जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबंधित को उपलब्ध करवाये जावेगें।
16. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रश्नावली की सूचना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अग्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
17. जिन ग्राम पंचायतों में ऑन–लाईन सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां के ग्राम सचिव अपना रिकार्ड संबंधित पंचायत समिति में लाकर पंचायत समिति में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा प्रश्नावली को भरवाकर ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करेगें।
18. प्रश्नावली भरने एवं ऑन–लाईन करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर जिला स्तर पर कार्यरत डीपीएम का सहयोग ले सकेगें।
19. निर्धारित समयावधि के पश्चात् राज्य स्तर से वेबसाईट पर प्रश्नावली फ्रिज कर दी जावेगी।
20. राज्य स्तर पर जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला स्तर पर मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय एवं ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।
21. योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाइट www.rajpanchayat.gov.in > **परिपत्र > आयोजना** पर अपलोड कर दिये गये है।
22. योजनान्तर्गत स्टेशनरी, पोस्टेज एवं अन्य व्ययों हेतु विभागीय योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज।
7. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (M&E) ग्रामीण विकास विभाग।
8. श्रीमती रमणिका कौर, इंदिरा गॉधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।

9. जिला प्रमुख, जिला परिषद– समस्त।
10. जिला कलक्टर–जिला समस्त।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जिला परिषद–समस्त।
12. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त को भेज कर लेख है कि योजनान्तर्गत स्टेशनरी/पोस्टेज एवं अन्य आवश्यक व्ययों का पुनर्भरण विभागीय योजनाओं के तहत जिला परिषदों के पी.डी.खातों में उपलब्ध राशि से करावें।
13. मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों व कार्य योजना अनुसार निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
14. प्रधान, पंचायत समिति– समस्त।
15. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
16. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति, जयपुर।
17. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति– समस्त जिले।
18. सदस्य सचिव, ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति– समस्त जिले।
19. एसपीएमयू, मुख्यालय।
20. विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, नरेगा, पंचायत समिति–समस्त।
21. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)